प्रेषिका,

अर्चना सिंह -I
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल
माननीय जनपद न्यायाधीश
मेरठ।

विषय - वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रत्यावेदन।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में प्रार्थिनी को प्रदत्त की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रार्थिनी द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति (तत्कालीन) के समक्ष प्रस्तुत प्रत्यावेदन निरस्त हो गया एवं श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टि पुष्ट हो गई है। उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थिनी का बिंदुवार प्रत्यावेदन निम्न प्रकार है। -

(1) कॉलम संख्या 1 (c) - She tries hard not to lose her temper. However more control is required.

- यह कि इस संबंध में सादर निवेदन है कि उक्त प्रतिकूल टिप्पणी पूर्णत: निराधार है। प्रार्थिनी अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, लगन व ईमानदारी से करती है तथा डायस पर समय बैठकर प्रतिदिन नियत पत्रावलियों की सुनवाई शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करती है।

- यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा कभी भी प्रार्थिनी के आचरण, स्वभाव, कार्यशैली आदि के संबंध में कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं की गई है न ही इस संबंध में कोई निर्देश या आदेश दिया गया है और न ही कभी प्रार्थिनी को इस संबंध में किसी भी प्रकार की मौखिक या लिखित शिकायत से अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रतिकूल टिप्पणी पूर्णत: आधारहीन है।

(2) कॉलम संख्या (4) - I asses her a good officer although she can easily improve to be a very good officer.

- यह कि इस संबंध में सादर निवेदन है कि -

• प्रार्थिनी द्वारा वर्ष 2022-23 में कुल लक्ष्य यूनिट 711.28 यूनिट के सापेक्ष कुल 1370.01 यूनिट कार्य (658.73 यूनिट अधिक, लगभग 192.73 प्रतिशत कार्य) संपन्न किया गया।

• G.L. No. 11/4-f-14/2022 दि. 18/08/22 के अनुपालन में कुल लक्ष्य यूनिट 200.76 यूनिट के सापेक्ष - 248.61 यूनिट का कार्य संपन्न किया गया।

• प्रार्थिनी द्वारा वर्ष 2022-23 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक्शन प्लान के तहत निस्तारित की गई पत्रावलियों / वादों का विवरण निम्न प्रकार है -

सिविल वाद (दि. 01/04/22 से दि. 03/02/23 तक)

कुल मूलवाद लक्ष्य	-	30 मूलवाद
कुल निर्णीत मूलवाद	-	24 मूलवाद
कुल इजराय वाद लक्ष्य	-	10 इजराय वाद
कुल इजराय वाद निर्णीत	-	08 इजराय वाद

फौजदारी वाद (दि. 01/04/22 से दि. 31/03/23 तक)

Archana
05/11/23

Scanned with CamScanner

कुल फौजदारी वाद लक्ष्य - 35 फौजदारी वाद

कुल फौजदारी वाद निर्णीत - 35 फौजदारी वाद

⇒ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी द्वारा वर्ष 2022-23 में (दि. 01/04/22 से दि. 03/02/23 तक) लगभग 80% आदेश / निर्णय / पत्राचार आदि काम स्वयं के हस्तलेख में संपादित किया गया क्योंकि प्रार्थिनी के न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) कक्ष सं.-5 में दि. (01/04/22 से दि. 03/02/23 तक) आशुलिपिक की नियुक्ति सप्ताह के अंतिम 3 दिन के लिए था एवं उक्त आशुलिपिक अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं करते थे। जिसके बारे प्रार्थिनी ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश को समय-समय पर लिखित व मौखिक रूप से सूचित किया था। यहाँ तक कि प्रार्थिनी ने सिविल के सभी निर्णय (प्रतिस्पर्धित) स्वयं के हस्तलेख में पारित किये हैं।

- यह कि प्रार्थिनी को न्यायिक सेवा में 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस जनपद से पूर्व के किसी भी तैनाती जनपद में 8 वर्ष की अवधि में (जबसे प्रार्थिनी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्राप्त हुई तबसे) तबसे लगभग प्रत्येक वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा Very Good की प्रविष्टि प्रदान की गई जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्ट किया गया। उक्त अवधि में किन्हीं भी जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रार्थिनी के आचरण, व्यवहार, कार्यशैली व संयम के संबंध में उपरोक्त प्रकार की प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान नहीं की गई है तथा न ही इस संबंध में कभी भी प्रार्थिनी के 10 वर्ष की न्यायिक सेवा अवधि के दौरान किसी भी अधिवक्ता, कर्मचारी या वादकारी या कनिष्ठ अधिकारी द्वारा कोई शिकायत या आपत्ति किसी भी प्रकार की की गई है। इस प्रकार श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रार्थिनी को प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टि पूर्णतः आधारहीन है।

- यह कि प्रार्थिनी का भावी सेवाकाल अभी लंबी अवधि का शेष है तथा श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के बने रहने से प्रार्थिनी भावी एवं शेष कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः माननीय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थिनी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टि व टिप्पणी को निरस्त करने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रार्थिनी आपकी सदैव आभारी रहेगी।

सादर।

दि. 05/11/2023

भवदीया

Archana 05/11/23

(अर्चना सिंह - I)

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मेरठ।

संलग्नक - माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति (तत्कालीन) को प्रेषित प्रत्यावेदन की प्रति

Scanned with CamScanner